न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम अरवड तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 61/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

1 आशा मुत्यन्ना माधू बैरवा नाबालिग जरिये सरक्षिका माता श्रवणी पत्नि घीसू बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————प्रार्थीया

बनाम

1. मु.सोहनी बेवा माधू बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. मु.सायरी बाई पत्नि मदन बलाई उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. मु.गीता देवी पत्नि नन्दलाल उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

———विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– प्रार्थीया स्वयं

अनुपस्थित – अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 26.11.2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त अनवानी प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 03.06.2019 को विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम अरवड की आराजी संख्या 1095, 1100/1714, 1101, 1102 कुल किता 4 कुल रकवा 0.88 हैक्ट. एवं ग्राम बडला पटवार हल्का अरवड स्थित आराजी संख्या 92, 97 किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्ट. भूमि विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। माधू बैरवा व उनकी धर्मपत्नि विपक्षी संख्या 01 मु. सोहनी देवी बैरवा निःसंतान थे। जिन्होने प्रार्थीया को चार [illegible] आपसी विचार विमर्श कर, विधिवत कानूनी तौर पर दिनांक 22.01.20[illegible] को गौद लिया तथा गौदनामें को पंजीयन विभाग से दिनांक 07.02.2007 को रजिस्टर्ड कराया। प्रार्थीया का नाम बहैसियत गौदपुत्री पहचान संबंधि दस्तावेजात [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

श्री माधू बैरवा के देहान्त उपरान्त विपक्षी संख्या 01 ने तथ्य छुपाकर विरासत का ईन्तकाल अपने नाम पर खुलवा लिया, जबकि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात में बराबर हक आधिपत्य रखती है। विपक्षी संख्या 01 ने विधि विरूद्ध जाकर ग्राम बडला पटवार हल्का अरवड स्थित आराजी संख्या 92, 97 किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्ट. सम्पूर्ण भूमि का बिकाव विपक्षी संख्या 03 के पक्ष में कर दिया। इसके पश्चात विपक्षी संख्या 01 ने वादग्रस्त आराजीयात में से आंशिक हिस्सा और विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड बिकाव पत्र के माध्यम से कर दिया। प्रार्थीया शुरूवात से ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो, भूमि का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। विवादित भूमि के पूर्व खातेदार माधू बैरवा की मृत्यूपरान्त खुली विरासत में प्रार्थीया का भी नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए था, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा किये गये दोषयुक्त ईन्द्राज से विवादित भूमि में केवल मात्र विपक्षी संख्या 01 का ही हक आधिपत्य निर्धारित किया गया, जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने व आराजी को किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण/खुर्द-बुर्द करने पर विपक्षी हमेशा आमादा रहता है।

इस सम्बंध में प्रार्थी/वादी ने अपने हक एवं अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय में हमराह प्रस्तुत किया है जिसके प्रकरण संख्या 18/2019 होकर वादपत्र जैर कार्यवाही है। इसी के साथ-साथ प्रार्थी ने इस प्रार्थनापत्र के माध्यम में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 01 को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाने की ईस्तदुआ की।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को तलब किया गया। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम अरवड दिनांक 26.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में मौजूद प्रार्थीया ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :-

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया। उपस्थित प्रार्थीया को सुना गया। क्योंकि विवादित [illegible] प्रार्थीया बतौर गौदपुत्री हक स्वामित्व रखती है। जिसके हिस्से का बेच[illegible] कर[illegible] का अप्रार्थीया संख्या 01 को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। ऐसी [illegible] में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला होना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

2. **सुविधा का संतुलन** एवं अपूर्णीय क्षति :– यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को विवादित आराजीयात में से जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीया के हक प्रभावित होगें। इस प्रकार सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

इस प्रकार प्रार्थीया अपने पक्ष में अस्थाई निषेद्याज्ञा हेतू समस्त बिन्दू सिद्ध करने में सफल रही है। लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थनापत्र प्रार्थीया अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अरवड की आराजी संख्या 1095, 1100/1714, 1101, 1102 कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्ट. एवं ग्राम बडला पटवार हल्का अरवड स्थित आराजी संख्या 92, 97 किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्ट. भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–
तहसीलदार फुलियाकलां/ पटवारी हल्का अरवड

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested